



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2732]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935

No. 2732]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

का.आ.3605(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों जिनका प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया बाटा शॉप मेनेजर्स यूनियन द्वारा किया जा रहा है के बीच औद्योगिक विवाद है। इस विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अंतर्बलित है और यह ऐसे स्वरूप का है कि मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड का प्रतिष्ठान एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं और ऐसे विवाद में उनकी रुचि होना अथवा उनके प्रभावित होने की संभावना है।

और जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदन संख्या डब्ल्यूपी 7585/2007 दिनांक 23.03.2011 में मामले पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध के अंतर्गत विचार करने और समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-51014/1/2007-आई आर (पी जी) दिनांक 5 सितम्बर, 2007 द्वारा कोलकाता में मुख्यालय सहित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित किया और न्यायमूर्ति सी० पी० मिश्रा को उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया, उक्त औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया।

और जबकि न्यायमूर्ति सी.पी. मिश्रा ने उपर्युक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का कार्यभार 19.04.2010 (पूर्वाहन) को त्याग दिया।

अतः, कोलकाता में मुख्यालय सहित श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-51014/1/2007 दिनांक 24 जून, 2011 द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित किया गया था और न्यायमूर्ति माणिक मोहन सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

और जबकि न्यायमूर्ति माणिक मोहन सरकार ने उपर्युक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का कार्यभार 26.02.2012 (पूर्वाहन) को त्याग दिया।

अतः अब, कोलकाता में मुख्यालय सहित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति दीपक साहा रे के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित किया जाता है और उपर्युक्त विवाद को इस निर्देश के साथ न्यायनिर्णयन हेतु उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया गया है कि न्यायमूर्ति दीपक साहा रे इस मामले में उस चरण से आगे कार्यवाही करेंगे जिस चरण पर यह न्यायमूर्ति माणिक मोहन सरकार द्वारा छोड़ा गया था और इसका तदनुसार निपटान करेंगे।

[सं. एल-51014/1/2007-आईआर(पीजी)]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 9th December, 2013

S.O. 3605 (E).— Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the management of M/s. Bata India Ltd. and their workmen represented by All India Bata Shop Managers Union. The dispute involves question of national importance and also is of such nature that the establishment of M/s. Bata India Ltd. are situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in Application No. WP 7585/2007 dated 23.03.2011 gave a direction to consider the matter under the provision of Industrial Disputes Act, 1947 and take appropriate decision.

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by National Tribunal.

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the ID Act, 1947(14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No.L-51014/1/2007-IR(PG) dated 5th September, 2007 with headquarter at Kolkata and appointed Justice C.P. Mishra as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 10 of the said Act, referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

And whereas Justice C.P. Mishra relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 19-04-2010(FN).

And therefore, a National Industrial Tribunal was constituted vide Ministry of Labour Order No.L-51014/1/2007 dated 24th June, 2011 with headquarters at Kolkata and was appointed Justice Manik Mohan Sarkar, Presiding Officer of CGIT, Kolkata as its Presiding Officer.

And whereas Justice Manik Mohan Sarkar relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 26-02-2012 (FN).

Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Dipak Saha Ray, Presiding Officer of CGIT, Kolkata as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Dipak Saha Ray shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Manik Mohan Sarkar and dispose off the same accordingly.

[No. L-51014/1/2007-IR(PG)]

A.C.PANDEY, Jt. Secy.